

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग
क्रमांक प.12(12)वित्त/आब/2021

जयपुर, दिनांक: 19/08/2021


आदेश

श्री महेश चन्द भीमवाल, जिला आबकारी अधिकारी का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 11.05.2021 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 11.05.2021 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्व. श्री महेश चन्द भीमवाल के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


आज्ञा से,


(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक प019(जन)(30) वि.जांच/आब/2021/961 दिनांक 16.08.2021 के संदर्भ में।
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
5. संबंधित अधिकारी का उत्तराधिकारी द्वारा आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. निजी पत्रावली संबंधित अधिकारीगण।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005

Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website:

www.finance.rajasthan.gov.in.email: dsfexcise@rajasthan.gov.in